9/2021/संख्या-2-ई.एम./2009-का-4-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक:: 27 जुलाई, 2021

विषय:- सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों मांगों/ समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने के संबंध में समसंख्यक शासनादेश दिनांक 24.05.2019 द्वारा सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों में अंकित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कतिपय विभागों विभागाध्यक्षों मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नही की जा रही है। कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव, कार्मिक से समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करते हैं, फलस्वरूप ऐसे प्रकरण जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, उनके संबंध में भी उक्त स्तरों पर बैठकें करनी पड़ रही हैं, यह स्थिति उचित नही है।

अत: आपको पुन: निदेशित करने का मुझे निदेश हुआ है कि कर्मचारी संगठनों/ कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के संबंध में शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिवगण तथा विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने-अपने विभाग/ जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कराकर उनकी मांगों/समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से निस्तारण कराना सुनिश्चित करें ।

उक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकारी, कर्मचारियों की व्यक्तिगत सेवा संबंधी समस्याओं को भी प्रत्येक सप्ताह में एक बार अपराहन में समय निर्धारित कर उसका निस्तारण सुनिश्चित करायेंगें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

http://srcsanadesh.up.gov.in